संख्या 367 /XXVII(3)/वे0नि0/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनु0–3 देहरादून, दिनांक : 23 : अगस्त, 2005

विषयः– पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–प0मा0नि0–357/दस–21(एम)/97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी किये जा चुके हैं। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर– 2(4) के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वर्तमान परिलब्धियों के आगणन हेतु द्वितीय अन्तरिम सहायता की धनराशि की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। साथ ही शासनादेश के प्रस्तर – 4(1) की व्यवस्थानुसार 40 प्रतिशत की धनराशि की गणना भी मूल वेतन पर किये जाने के आदेश हैं।

(2) विभिन्न विभागों तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त वर्तमान परिलब्धियों एवं 40 प्रतिशत की धनराशि का आगणन मूल वेतन तथा वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के योग पर किये जाने की माँग की जा रही है। इस विषयक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर– 2(4) तथा 4(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

प्रस्तर – 2(4) उपर्युक्त प्रस्तर – 2(1) में उल्लिखित मूल वेतन तथा वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के योग पर आगणित 10 प्रतिशत के समतुल्य दूसरी अन्तरिम सहायता की धनराशि (न्यूनतम रू0 100 प्रतिमास की दर से)

प्रस्तर – 4(1) कर्मचारी के वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन तथा साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की धनराशि (यदि कोई हो) के योग की 40 प्रतिशत धनराशि **"वर्तमान परिलब्धियों"** में जोड़कर, जो धनराशि आये, पुनरीक्षित वेतनमान में उसके अगले स्तर पर,

किन्तु यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि से अधिक हो तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर होगा और यदि

643

उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उक्त वेतनमान के अधिकतम पर होगा।

(3) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 367 (1)/XXVII(3)/वे0नि0/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 राज्यपाल महोदय के सचिव।
2. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संख्या /XXVII(3)/वे0नि0/2005 तद्दिनांक.

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संख्या– /XXVII(3)/वे0नि0/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि विधानसभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव